बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं०– 06/2016, राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के व्याख्याता के नवसृजित कुल 478 (चार सौ अठहत्तर) पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है।

2. **वेतनमान :–** मूल कोटि 9300–34800, ग्रेड पे–4800 (04 वर्षों के बाद 5400/–)

3. **पदों का विषयवार विवरण :–**

क्र. सं.	विषय	कुल रिक्त पद	आरक्षण					
			अनारक्षित (01)	अनु. जाति (02)	अनु. जनजाति (03)	अ.पि.व. (04)	पि.व. (05)	पि.व. की महिला (06)
1.	फाउन्डेशन कोर्स	55	28	08	01	10	06	02
2.	समावेशी शिक्षा	38	19	06	–	07	05	01
3.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी	19	10	03	–	03	02	01
4.	योजना एवं शोध	38	19	06	–	07	05	01
5.	हिन्दी	34	17	06	–	06	04	01
6.	अंग्रेजी	34	17	06	–	06	04	01
7.	उर्दू	16	08	03	–	03	02	–
8.	संस्कृत	10	05	02	–	02	01	–
9.	बंगला	03	02	–	–	01	–	–
10.	मैथिली	05	03	01	–	01	–	–
11.	गणित	35	18	06	–	06	04	01
12.	भौतिकी	30	15	05	–	05	04	01
13.	रसायन शास्त्र	31	16	05	–	05	04	01
14.	वनस्पति शास्त्र	31	16	05	–	05	04	01
15.	प्राणि शास्त्र	30	15	05	–	05	04	01
16.	सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र)	69	35	11	01	12	08	02
	कुल योग	**478**	**243**	**78**	**02**	**84**	**57**	**14**

नोट :– निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत निःशक्त (विकलांग) अभ्यर्थियों को आरक्षण देय होगा।

4. **शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के विषय :–**

क्र. सं.	विषय	अर्हता	अनुभव	वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अकादमिक अंक एवं साक्षात्कार अंक/ परीक्षा अवधि
1.	फाउन्डेशन कोर्स	किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, न्यूनतम 55% अंकों के साथ एवं एम.एड., न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।	**बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, जिनकी सेवा 03 वर्ष की हो चुकी है।** **नोट :– शिक्षक से तात्पर्य "प्राथमिक/मध्य/उच्च/उच्चतर (10+2) स्तर के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित/नियमित नियोजित शिक्षक" से है। शिक्षामित्र एवं अन्य किसी भी प्रकार के शिक्षक इस अधियाचित पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। (आवेदन प्रपत्र के साथ दिये गए अनुभव प्रमाण–पत्र को संलग्न करना अनिवार्य है।)**	**(क) वस्तुनिष्ठ परीक्षा का विषय– 60 अंक** शिक्षा के परिप्रेक्ष्य का सामान्य पाठ्यक्रम– 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, **परीक्षा की अवधि – 01:30 घंटा** **(ख) अकादमिक अंक–** 1. स्नातकोत्तर के लिए अधिकतम 10 अंक 2. एम.एड. के लिए अधिकतम 10 अंक **(अंक निर्धारण हेतु उस परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक को 10 से भाग दिया जाएगा)** 3. शिक्षा शास्त्र में पीएच.डी. की उपाधि रहने पर 05 अंक दिये जायेंगे। **कुल अधिकतम अंक– 25 (10+10+05)** **(ग) साक्षात्कार–15 अंक** जिसमें विषयवस्तु के ज्ञान, शोध, शिक्षण, प्रकाशन आदि का संज्ञान लिया जाएगा। **कुल अंक– 100 (60+25+15)**
2.	समावेशी शिक्षा			
3.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी			
4.	योजना एवं शोध			
5.	हिन्दी	हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर, न्यूनतम 55% अंकों के साथ एवं एम.एड., न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।		
6.	अंग्रेजी	अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर, न्यूनतम 55% अंकों के साथ एवं एम.एड., न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।		
7.	उर्दू	उर्दू विषय में स्नातकोत्तर, न्यूनतम 55% अंकों के साथ एवं एम.एड., न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।		
8.	संस्कृत	संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर, न्यूनतम 55% अंकों के साथ एवं एम.एड., न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।		
9.	बंगला	बंगला विषय में स्नातकोत्तर, न्यूनतम 55% अंकों के साथएवं एम.एड., न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।		
10.	मैथिली	मैथिली विषय में स्नातकोत्तर, न्यूनतम 55% अंकों के साथ एवं एम.एड., न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।		
11.	गणित	गणित विषय में स्नातकोत्तर, न्यूनतम 55% अंकों के साथ एवं एम.एड., न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।		
12.	भौतिकी	भौतिकी विषय में स्नातकोत्तर, न्यूनतम 55% अंकों के साथ एवं एम.एड., न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।		
13.	रसायन शास्त्र	रसायन शास्त्र. विषय में स्नातकोत्तर, न्यूनतम 55% अंकों के साथ एवं एम.एड., न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।		
14.	वनस्पति शास्त्र	वनस्पति शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर, न्यूनतम 55% अंकों के साथ एवं एम.एड., न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।		
15.	प्राणि शास्त्र	प्राणि शास्त्र विषय मे स्नातकोत्तर, न्यूनतम 55% अंकों के साथ एवं एम.एड., न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।		
16.	सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र)	संबंधित विषय (इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र) में स्नातकोत्तर, न्यूनतम 55% अंकों के साथ एवं एम.एड., न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।		

5. **चयन का आधार :– (क)** वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार हेतु रिक्ति के 2.5 (ढ़ाई) गुणा उम्मीदवारों को आरक्षण कोटिवार आमंत्रित किया जाएगा। तत्पश्चात् वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंक, अकादमिक अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर अंतिम परीक्षाफल तैयार किया जाएगा।

(ख) उम्मीदवारों से पदों की अधिमानता साक्षात्कार के समय लिया जाएगा। जिस विषय के पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता क्रम नहीं भरा जाएगा, उस विषय के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. **उम्र सीमा – (A)** दिनांक 01.08.2014 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों को कुल 04 वर्ष की छूट के साथ राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत वैसे शिक्षकों जिनकी सेवा अवधि तीन वर्षो से कम की न हो तथा पद के लिए निर्धारित अर्हता धारित करते हों, उन्हे अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्षों की अतिरिक्त छूट, निम्नांकित विवरणी के अनुरूप अनुमान्य होगी :–

(क) अनारक्षित वर्ग– 37 + 04 + 05 = 46 वर्ष

(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 40 + 04 + 05 = 49 वर्ष

(ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) – 40 + 04 + 05 = 49 वर्ष

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 + 04 + 05 = 51 वर्ष।

(B) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की संकल्प ज्ञापांक– 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विकलांगों को अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

7. **आरक्षणः**

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। इसके लिए स्थायी निवास प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

(ii) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार यथा; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(A) (a) जाति प्रमाण–पत्र

(b)स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र

(c) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(C) निःशक्ता (विकलांगता) की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको निःशक्ता (विकलांगता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

8. **शुल्कः**

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 150/– (एक सौ पचास) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 200/– (दो सौ) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि एवं अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए 600/– (छः सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 650/– (छः सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के **खाता संख्या 31650243410** में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। इस विज्ञापन विशेष के चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से आवेदन प्रपत्र के साथ डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। **उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।**

9. **अन्यः**

अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

10. **अंतिम तिथिः**

(i) **पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेंजे कि वह बुधवार, 15 जून, 2016 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।**

(ii) **यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।**

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

1. **प्रविष्टिः**

(i) आवेदन इस विज्ञापन विशेष के लिए निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी॰) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। **आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में तथा अनुभव प्रमाण–पत्र एक पृष्ठ में ही होना चाहिए। इस विज्ञापन विशेष के लिए निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

(ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले इंक के बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसेः–

(i) **आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय –**

स्नि	न	ग	धा		

(ii) **हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें, यथा – ANIL KUMAR RAM को बाक्स में इस तरह लिखेंगें एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगेः**

A	N	I	L		K	U	M	A	R		R	A	M

(iii) **आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।**

(iv) **आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, एवं पिछड़ा वर्ग के लिये 05 भरें।**

उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(v) स्तम्भ (कॉलम) 10 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 11 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।

2. **फोटोग्राफः**

आवेदन–पत्र के पृ॰ 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो/आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।**

3. **लिफाफा एवं प्रमाण पत्रः**

(i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें:–

(i) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र (जन्म तिथि के लिए);

(ii) इंटर का प्रमाण–पत्र;

(iii) स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र;

(iv) स्नातकोत्तर उत्तीर्णता अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र;

(v) बी॰एड॰/एम॰एड॰ उत्तीर्णता अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र;

(vi) शिक्षा शास्त्र में पी॰एचडी॰ प्रमाण–पत्र;

(vii) अनुभव प्रमाण पत्र; **(अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं करने की स्थिति में उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा)**

(viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र;

(ix) निःशक्त उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा पर्षद द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण–पत्र;

(x) बैंक में जमा चालान की मूल BPSC प्रति;

(xi) प्रमाण–पत्रों के कॉलम में अंकित प्रत्येक प्रमाण–पत्रों के सामने प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे;

(xii) **आवेदक उपर्युक्त सभी प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। जो प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।**

(ii) **वैसे उम्मीदवार, जिनके अंक पत्र में अंक की जगह ग्रेड अंकित है, उन्हें अपने विश्वविद्यालय से उक्त ग्रेडिंग प्रणाली को प्रतिशत में परिवर्तित करने का फार्मूला प्राप्त कर अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।**

(iii) **16 × 10 से.मी. का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 40–40 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।**

(iv) **जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम, जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।**

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना